

मैसर्स ईओएन खराडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-चरण- I एसईजेड, खराडी, पुणे, के आईटी-आईटीईएस सेक्टर के विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीपज़-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 15.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की 122वीं बैठक का विवरण।		
1	एसईजेड का नाम	मैसर्स.ईओएन खराडी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड-एसईजेड, चरण I
2	क्षेत्र	आईटी/आईटीईएस
3	मीटिंग नं	122 वी
4	तारीख	15.10.2024

उपस्थित सदस्य:

क्र.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री संजय बांगर, उप निदेशक उद्योग, उद्योग विभाग, , पुणे क्षेत्र	महाराष्ट्र सरकार से नामित
3	श्रीमती अर्चना परब, सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
4	श्रीमती पुष्पा गंगावणे, FTDO	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
5	श्री धवल एस शिर्के, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे से नामित

विशेष आमंत्रित :

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री. शम्भू दयाल मीना, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीपज़-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर 01: दिनांक 16.08.2024 को आयोजित 121 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विचारविमर्श के बाद, समिति ने 16.08.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की 121 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा आइटम नंबर 02: 16.08.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 16.08.2024 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की है।

एजेंडा आइटम नंबर 03: वोडाफोन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सामान्य बुनियादी ढांचे की हिस्सेदारी की मंजूरी के लिए आवेदन।

समिति ने नोट किया कि M/s Vodafone India Services Pvt. Ltd. (VISPL) ने SEZ नियम, 2006 के नियम 27 (5) के तहत एक अन्य SEZ इकाई और कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की अन्य DTA इकाइयों के साथ साझा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

इकाई वोडाफोन इंटरनल संपर्क केंद्र प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव कर रही है , जो कि एक Cisco टेलीफोनी प्लेटफॉर्म है और एक एंटरप्राइज़ स्तर का कॉल मैनेजर (EPBX) है, जिसका उपयोग

(VISPL) और उसकी सहायक कंपनी Vodafone Global Services Pvt. Ltd. (VGSPL) के विभिन्न स्थानों से सभी व्यवसाय उपयोगकर्ता करेंगे। प्रस्तावित सामान्य बुनियादी ढांचा CISCO सर्वर, राउटर और स्विच शामिल करता है।

समिति ने यह भी नोट किया कि सामान्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की लागत आवेदक SEZ इकाई द्वारा बुक की जाएगी और हार्डवेयर AMC लागत, सॉफ्टवेयर लाइसेंस लागत और आईटी समर्थन लागत सहित संचालन और रखरखाव की लागत कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की संबंधित इकाइयों के कर्मचारियों के अनुपात में आवंटित की जाएगी। वोडाफोन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, EON SEZ यूनिट, वोडाफोन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु यूनिट को साझा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स चालान जारी करेगा।

समिति ने इकाई द्वारा साझा बुनियादी ढांचे के उद्देश्य को भी नोट किया जो इस प्रकार हैं:

a) VISPL और VGSPL के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल करने के लिए एकल बिंदु बुनियादी ढांचा बनाने के मामले में संसाधनों का अनुकूलन, जिससे कई सेटअप बनाने की आवश्यकता के बजाय लागत में कमी होगी।

b) निर्बाध कनेक्टिविटी और तेज़ आपदा पुनर्प्राप्ति

c) केंद्रीय हब के कारण रखरखाव में आसानी

SEZ नियम 2006 के नियम 27 (5) के अनुसार: "एक इकाई घरेलू टैरिफ क्षेत्र से सभी प्रकार के सामान और सेवाओं का आयात या खरीद सकती है, बिना शुल्क, कर या उपकर का भुगतान किए, ताकि विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा उपयोग के लिए एक केंद्रीय सुविधा बनाई जा सके और जहां सॉफ्टवेयर विकास के लिए ऐसी सुविधा बनाई जाती है, तो सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है।"

उपरोक्त के मद्देनज़र, समिति की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

1. इकाई का प्रस्ताव नियम 27 (5) के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि सामान्य बुनियादी ढांचा बनाने का उद्देश्य सॉफ्टवेयर विकास के लिए नहीं है, जो कि नियम 27 (5) की अनिवार्य आवश्यकता है।
2. बुनियादी ढांचे को साझा करना सब-लेटिंग के बराबर है, जो कि आवेदक के अधिकृत संचालन के तहत नहीं आता है।
3. यूनिट ने यह विवरण नहीं दिया है कि डीटीए इकाइयां सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाली इकाइयां हैं या नहीं।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने इकाई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

एजेंडा आइटम नंबर **04**: मैसर्स यूपीएस लॉजिस्टिक प्रा. लि. द्वारा प्रस्तुत निदेशक मंडल में बदलाव की मंजूरी के लिए आवेदन।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी निर्देश 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, निदेशक मंडल में बदलाव के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

निदेशक मंडल की अनुमोदित सूची:

क्रमांक	निदेशकों का नाम	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि
1	गौरव रंजीत तेंडुलकर	निदेशक	05/03/2021
2.	हर्ष पंजाबी	निदेशक	17/05/2021
3.	वनश्री हरिदासन	निदेशक	08/09/2021
4.	कैरोलीन एटस	निदेशक	28/04/2023
5.	जानकीरमन प्रदीप	निदेशक	17/04/2024
6.	सुब्रमणि रामाकृष्णन	निदेशक	17/04/2024
7.	चरण कुमार शेटी	निदेशक	17/04/2024

अनुमोदन एमओसी&आई द्वारा जारी अनुदेश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 122 th Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-Phase-I SEZ, Kharadi, Pune, held on 15.10.2024		
1	Name of the SEZ	M/s. EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-SEZ, Phase I
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	122th Meeting
4	Date	15.10.2024

Members present:

Sr	Name and Designation(S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Sanjay Bangar Deputy Director of Industries, Pune Region	Nominee of Govt. of Maharashtra
3	Smt. Archana Parab, Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
4	Smt. Pushpa Gangawane. FTDO	Nominee of DGFT, Pune
5	Shri Dhaval S Shirke, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

--	--	--

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri. Shambhu Dayal Meena Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 121th meeting held on 16.08.2024

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 121th meeting of Approval Committee held on 16.08.2024.

Agenda Item No.02: Action taken report for the minutes of the meeting held on 16.08.2024

After deliberation, the Committee has noted the Action taken report for the meeting held on 16.08.2024.

Agenda Item No.03: Application for approval of Sharing of Common Infrastructure submitted by M/s. Vodafone India Services Pvt. Ltd

The committee noted that M/s Vodafone India Services Pvt. Ltd. (VISPL) has submitted an application for sharing of common network infrastructure facilities with another SEZ Unit along with other DTA Units of the company and its subsidiary under Rule 27 (5) of SEZ Rules, 2006.

The Unit is proposing creation of Vodafone Internal Contact Center Platform which is Cisco Telephony platform and is an Enterprise level call Manager (EPBX) which will be used by all of their business users from various locations of (VISPL) and their subsidiary Vodafone Global Services Pvt. Ltd. (VGSPL). The proposed common infrastructure includes CISCO Servers, Routers and Switches.

The Committee further noted that cost of installation of common infrastructure will be booked by applicant SEZ Unit and cost of operation and maintenance containing Hardware AMC cost, Software License Cost and IT Support cost shall be allocated in the ratio of manpower of respective units of the Company and its subsidiary company. Vodafone India Services Pvt. Ltd., EON SEZ Unit will raise tax invoice to Vodafone Global Services Pvt. Ltd., Bangalore Unit for sharing the common IT infrastructure.

The committee also noted the purpose of the Unit for sharing the common infrastructure which are as follows:

- Optimization of resources in terms of creating single point infrastructure for making inbound and outbound calls for VISPL and VGSPL leading to reduction of costs which otherwise would be required to create multiple set ups.
- Seamless connectivity and faster disaster recovery
- Easy to maintain infrastructure due to central hub

Rule 27 (5) of SEZ Rules 2006 is as follows:

"A Unit may import or procure Domestic Tariff Area, all types of goods and services, without payment of duty, taxes or cess for creating a central

facility for use by Units in Special Economic Zone and where such facility is created for software development, the same may be access by software exporters of Domestic Tariff Area”

In view of the above, the observations of the committee are as follows:

1. The proposal of the Unit is not falls under Rule 27 (5) as the purpose of creation of common infrastructure is not for software development which is mandatory requirement of Rule 27 (5).
2. The sharing of Infrastructure is tantamount to sub-letting which is not authorized operation of the applicant.
3. The Unit has not informed details whether the DTA Units are software exporting Units or not.

After deliberation, the committee the rejects the proposal of the Unit.

Agenda Item No.04: Application for approval of change in board of directors submitted by M/s. UPS Logistic Pvt. Ltd.

After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for change in Board of Directors, in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021 issued by MOCI, as detailed below:

Approved List of Board of Directors:

Sr. No	Name of the Directors	Designation	Date of Appointment
1	Gaurav Ranjit Tendulkar	Director	05/03/2021
2.	Harsha Punjabi	Director	17/05/2021
3.	Vanishree Haridasan	Director	08/09/2021
4.	Caroline Eates	Director	28/04/2023
5.	Janakirman Pradeep	Director	17/04/2024
6.	Subramani Ramakrishnan	Director	17/04/2024
7.	Charan Kumar Shetty	Director	17/04/2024

The approval is subject to the conditions laid down in Instruction No. 109 issued by MOC&I.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आईएएस)
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)
 अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development
Commissioner